

दूसरी अनुसूची
[धारा 72(i) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, टैरिफ मद 2402 10 10 और मद 2402 10 20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2716 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2000 रुपए प्रति 1000 किलोवाट” प्रविष्टि रखी जाएगी।

5